संचिका संख्याः—4प / प्र०व्यय—150—01 / 2026 / 11597 / पं०रा०

स्पीड पोस्ट / ई—मेल

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

नजर हुसैन,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 25 / 5 / 2026

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8049 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹2000.00 (दो हजार रुपये) मात्र की दर से कुल ₹ 1,60,98,000.00 (एक करोड़ साठ लाख अट्ठानबे हजार रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।**

आदेशः—स्वीकृत।

संविधान के 73वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्त्त रूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जनसहभागिता प्राप्त करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। ग्राम कचहरियों को न्यायिक कार्य करने पड़ते हैं, जिनसे संबंधित कार्यों के लिए राशि की आवश्यकता होती है। अतः ग्राम कचहरियों के न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु राज्य सरकार ने राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी को प्रशासनिक व्यय हेतु ₹4000.00 (चार हजार रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है।

2. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य की प्रत्येक ग्राम कचहरी (कुल 8049 ग्राम कचहरियों) को प्रशासनिक व्यय के लिए ₹2000.00 (दो हजार रुपये) मात्र की राशि की दर से जिलावार संलग्न विवरणी अनुलग्नक—1 के अनुसार कुल **₹ 1,60,98,000.00 (एक करोड़ साठ लाख अट्ठानबे हजार रुपये)** मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग कागज, रजिस्टर, आलमीरा, दरी एवं कार्यालय व्यय में किया जायेगा।

3. संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। जिला कोषागार से उक्त राशि को सीधे ग्राम कचहरी के खाते में CFMS के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। राशि का निकासी ग्राम कचहरी के सरपंच / उप सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ग्राम कचहरियों को आंवटित अनुदान राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण—पत्र समेकित रूप से पंचायती राज विभाग को ससमय विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

4. राशि का उपयोग उचित रूप से हो इसका उत्तरदायित्व जिला पंचायत राज पदाधिकारी का होगा।

5. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष—2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—उप मुख्यशीर्ष—00—लघुशीर्ष—800—अन्य व्यय—उपशीर्ष—

0112–ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु के विषय शीर्ष–0112.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन" से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या–16, विपत्र कोड–16-2515008000112 है।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से की जायेगी। वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना के आलोक में चौमाही बंधेज की अधिसीमा में जिलों को राशि आवंटित की जा सकेगी।

8. इस स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्याः–4प/प्र०व्यय–150–01/2026 के पृष्ठ .....05/टि० पर दिनांक 14.05.2026 को प्राप्त है।

9. इस राशि की स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति प्राधिकार सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्याः–4प/प्र०व्यय–150–01/2026 के पृष्ठ ....06.../टि० पर दिनांक .... 20.05.2026. को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत्यादेश तथा संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 22/5/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–4प/प्र०व्यय–150–01/2026/ 11(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 22/5/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–4प/प्र०व्यय–150–01/2026/ 11(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–5, पंचायती राज विभाग/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 22/5/26

अपर सचिव

ज्ञापांकः–4प/प्र०व्यय–150–01/2026/ 11(स्वी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 25/5/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन) 22/5/26

अपर सचिव

विवरणीः—1

पंचायती राज विभाग

वित्तीय वर्ष 2026—27 में राज्य की ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय की स्वीकृत राशि की विवरणी :—

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में) (₹ 2000.00 की दर से)		
1	2	3	4		
1	अररिया	211	₹	4,22,000.00	(चार लाख बाइस हजार रूपया)
2	अरवल	64	₹	1,28,000.00	(एक लाख अट्ठाइस हजार रूपया)
3	औरंगाबाद	200	₹	4,00,000.00	(चार लाख रूपया)
4	बांका	182	₹	3,64,000.00	(तीन लाख चौंसठ हजार रूपया)
5	बेगुसराय	217	₹	4,34,000.00	(चार लाख चौंतीस हजार रूपया)
6	भागलपुर	238	₹	4,76,000.00	(चार लाख छिहत्तर हजार रूपया)
7	भोजपुर	226	₹	4,52,000.00	(चार लाख बावन हजार रूपया)
8	बक्सर	136	₹	2,72,000.00	(दो लाख बहत्तर हजार रूपया)
9	दरभंगा	308	₹	6,16,000.00	(छह लाख सोलह हजार रूपया)
10	गया	320	₹	6,40,000.00	(छह लाख चालीस हजार रूपया)
11	गोपालगंज	230	₹	4,60,000.00	(चार लाख साठ हजार रूपया)
12	जमुई	152	₹	3,04,000.00	(तीन लाख चार हजार रूपया)
13	जहानाबाद	88	₹	1,76,000.00	(एक लाख छिहत्तर हजार रूपया)
14	कैमूर	146	₹	2,92,000.00	(दो लाख बानवे हजार रूपया)
15	कटिहार	231	₹	4,62,000.00	(चार लाख बासठ हजार रूपया)
16	खगड़िया	113	₹	2,26,000.00	(दो लाख छब्बीस हजार रूपया)
17	किशनगंज	125	₹	2,50,000.00	(दो लाख पचास हजार रूपया)
18	लखीसराय	76	₹	1,52,000.00	(एक लाख बावन हजार रूपया)
19	मधेपुरा	160	₹	3,20,000.00	(तीन लाख बीस हजार रूपया)
20	मधुबनी	386	₹	7,72,000.00	(सात लाख बहत्तर हजार रूपया)
21	मुंगेर	96	₹	1,92,000.00	(एक लाख बानवे हजार रूपया)
22	मुजफ्फरपुर	373	₹	7,46,000.00	(सात लाख छियालिस हजार रूपया)
23	नालंदा	230	₹	4,60,000.00	(चार लाख साठ हजार रूपया)
24	नवादा	182	₹	3,64,000.00	(तीन लाख चौंसठ हजार रूपया)
25	पश्चिम चंपारण	303	₹	6,06,000.00	(छह लाख छह हजार रूपया)
26	पटना	307	₹	6,14,000.00	(छह लाख चौदह हजार रूपया)
27	पूर्वी चंपारण	396	₹	7,92,000.00	(सात लाख बानवे हजार रूपया)
28	पूर्णिया	230	₹	4,60,000.00	(चार लाख साठ हजार रूपया)
29	रोहतास	229	₹	4,58,000.00	(चार लाख अट्ठावन हजार रूपया)
30	सहरसा	135	₹	2,70,000.00	(दो लाख सत्तर हजार रूपया)
31	समस्तीपुर	346	₹	6,92,000.00	(छह लाख बानवे हजार रूपया)
32	सारण	318	₹	6,36,000.00	(छह लाख छत्तीस हजार रूपया)
33	शेखपुरा	49	₹	98,000.00	(अट्ठानवे हजार रूपया)
34	शिवहर	53	₹	1,06,000.00	(एक लाख छह हजार रूपया)
35	सीतामढ़ी	258	₹	5,16,000.00	(पांच लाख सोलह हजार रूपया)
36	सिवान	283	₹	5,66,000.00	(पांच लाख छियासठ हजार रूपया)
37	सुपौल	174	₹	3,48,000.00	(तीन लाख अड़तालीस हजार रूपया)
38	वैशाली	278	₹	5,56,000.00	(पांच लाख छप्पन हजार रूपया)
कुल राशि		**8049**	₹	**1,60,98,000.00**	(एक करोड़ साठ लाख अट्ठानवे हजार रूपया)

27/5/26
(नजरूल हुसैन)
अपर सचिव